

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 जनवरी 2012—पौष 26, शक 1933

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्र. एफ. 5-15-2010-1-उनसठ.—इग एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 33 जी की उपधारा (4) धारा 21 की उपधारा (4) तथा इग एण्ड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 152 एवं नियम, 67ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, उक्त नियमों के खण्ड VI A, VII A, IX A, XII, XIV, XV, XVI, XVIA, XVII, XVIII एवं XIX (जहां तक इनका संबंध आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी औषधियों एवं कॉस्मेटिक्स से है) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ. 5-15-2010-1-उनसठ, दिनांक 23 जुलाई 2010 को अधिक्रमित करते हुए डॉ. भावसिंह तेकाम, उपसंचालक, आयुर्वेद संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथिक, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश राज्य के लिए लाईसेंसिंग अथर्विटी (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथिक) एतद्वारा नियुक्त करता है।

No. F-5-15-2010-1-LIX.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 33 G and sub-section (4) of Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and rule 152 and 67 A of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 for the purpose of the parts VI A, VII A, IXA, XII, XIV, XV, XVI, XVIA, XVII, XVIII and XIX of the said rules (upto the extent to which these are related to Ayurved including Siddha, Unani and Homoeopathic drugs and cosmetics) Government of Madhya Pradesh superseding the notification issued previously *vide* No. F.-5-15-2010-1-LIX, dated 23rd July, 2010 hereby appoins Dr. Bhav Singh Tekam, Deputy Director, Ayurved, Directorate, Indian System of Medicine and Homeopathy, Madhya Pradesh as Licencing Authority (Indian System of Medicine and Homeopathy) for the Madhya Pradesh State.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशि खन्नी, उपसचिव,